न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 111/2019

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 25/02/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के खाता स0 47/78 की कुल 13.3280 हैक्ट भूमि में से 487 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम भूमि दर्ज हो गयी। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है। गैरसायल संख्या 1 जो सायल का पिता है अपने नाम दर्ज भूमि को अजनबी व्यक्तिों को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के खाता स0 47/78 की कुल 13.3280 हैक्ट भूमि में से 487 हिस्साा भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का [illegible] स0 1 के जीवनकाल में सायल का कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायल स0 1 [illegible] काश्तकार दर्ज है। उक्त वाद भूमि बाबत न्यायालय हाजा में वाद सं0 138/20[illegible] रमेश आदि [illegible] गोपीराम पेश किया गया था जो की दिनांक 13.09.2012 को खा[illegible] किया जा चुका है [illegible]ए प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:34:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर आधारित है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई कॉज ऑफ अराईज नही होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है तथा अप्रार्थी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है जिसमें प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है। लेकिन अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 13.09.2012 अनवानी रमेश बनाम गोपीराम के मुताबिक उक्त वाद भूमि उक्त वाद भूमि बाबत पूर्व में वाद न्यायालय हाजा में सायल द्वारा गैरसायल स0 1 के विरूद्ध पेश किया गया था जो की दिनांक 13.09.2012 को खारिज किया गया है। अब सायल द्वारा पुनः दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की न्यायोचित नही है एवं रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर लागु है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है न की प्रार्थी के जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो गया है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई साबित नही होने के कारण खारिज किया जाकर दिनांक 16.08.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:34:39 IST
Reason: SelfAttested